राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 736/2013/जोधपुर
2. अपील संख्या 737/2013/जोधपुर
3. अपील संख्या 738/2013/जोधपुर

सहायक आयुक्त,
वृत–सी, जोधपुर। ....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स प्रतीक मेटल्स प्रा0लि0,
एम.आई.ए. II फेस बासनी, जोधपुर। ....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक। ....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित। ....प्रत्यर्थी बावजूद सुचना अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 23.11.2017

निर्णय

1. यह तीनों अपीलें अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 49, 50 व 51/सीएसटी/जेयूसी/12–13 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 06.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वृत सी, जोधपुर (जिसे आगे **''कर निर्धारण अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2012 के अन्तर्गत केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **''केन्द्रीय अधिनियम''** कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **''अधिनियम''** कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत प्रस्तुत अपीलों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी के मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.01.2012 एवं तत्पश्चात संशोधित आदेश दिनांक 01.06.2012 में प्रत्यर्थी द्वारा ''सी'' फार्म प्रस्तुत नहीं करने से उन पर अंतर कर 3.5 प्रतिशत की दर से एवं उस पर ब्याज आरोपित किया गया। प्रत्यर्थी ने इन करारोपण पर आपत्ति नहीं करते हुए यह आवेदन किया गया था कि घोषणा प्रपत्र ''सी'' फार्म के अभाव में अथवा अमान्य करने की स्थिति में करारोपण करते समय उन्हें कर मुक्ति प्रोत्साहन योजना, 1998 के तहत देय 30 प्रतिशत कर मुक्ति का लाभ दिया जावे परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लाभ देने से इन्कार करते हुए दिनांक 28.06.2012 को आदेश पारित किया गया। इन आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिनांक 06.12.2012 को पारित किये। उक्त आदेशों के विरूद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत विभाग द्वारा ये तीनों अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बतलाया कि अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 06.12.2012 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपना विस्तृत आदेश दिनांक 30.09.2014 को पारित कर दिया है। अतः प्रस्तुत अपीलें सारहीन होने के फलस्वरूप खारिज किये जाने का निवेदन किया।

लगातार......................2

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने भी निवेदन किया कि अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 06.12.2012 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपना विस्तृत आदेश दिनांक 30.09.2014 को पारित कर दिया है एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक **30.09.2014** की प्रति पेश कर कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक **06.12.2012** के जरिये प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक **30.09.2014** को निर्देशानुसार रिकॉर्ड की पुनः जांच कर, प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन कर दिया है। अतः विवादित अपीलीय आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें "सारहीन" हो गयी है। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:–

(i) सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)
(ii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर.टी.जे.एस 8 । (राज.)
(iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)
(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

6. उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही बिना गुणावगुणों पर विचार किये प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है ।

7. उप–राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति के जवाब में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये :–
(i) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 मेवाड़ वेल्डिंग वर्क्स **119 एस.टी.सी. 576।**
(ii) वा.क.अ. राजसमन्द बनाम् मै0 होनेस्टी आयरन एण्ड हार्डवेयर स्टोर, कांकरोली **25 आर.टी.जे.एस.79** । (आर.टी.टी.)

6. उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में प्रस्तुत अपीलों को प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर निर्णित नहीं कर, गुणावगुणों पर निर्णित करने की प्रार्थना की गयी ।

7. उभयपक्षीय बहस सुनी तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् माननीय न्यायालयों के ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के पश्चात् हमारे विनम्र मत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर उद्धरित हालिया न्यायिक दृष्टांत **25 टैक्स अपडेट 59, 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)** तथा कर बोर्ड की समन्वय पीठ के उद्धरित निर्णय **38 टैक्स वर्ल्ड 16** के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में दिनांक **30.09.2014** को निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपीलें "सारहीन" हो गयी है।

8. परिणामतः तीनों अपीलें सारहीन हो जाने के फलस्वरूप अस्वीकार की जाती है ।
निर्णय प्रसारित किया गया ।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

23/11/17
(राजीव चौधरी)
सदस्य